## झारखण्ड सरकार जल संसाधन विभाग

पत्रांक:-	1 / पी०एम०सी० / विविध / 321 /	<b>2008</b> —	
-----------	-------------------------------	---------------	--

/राँची, दिनांक .....

## —ः अधिसूचना :—

ढ़ाई करोड़ रूपये से अधिक लागत के जल संसाधन विभाग की परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जल संसाधन विभाग के अधिसूचना सं०— 1/पी०एम०सी०/321/08—1413 दिनांक 11.12.2008 द्वारा लागू एवं अधिसूचना सं०—240 दिनांक 15.03.2018 द्वारा संशोधित SBD (Standard Bidding Document) के Section-3 (Conditions of Contract) की कंडिका—51 को पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची का संकल्प सं०— प०नि०वि०/विविध—06—33/2007 (अंश—I)— 2146 (S) राँची दिनांक 09.09.2020 द्वारा निर्गत संकल्प के आलोक में निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :—

Sl. No.	Clause	Provision as pre Old Standard Bid Document of WRD	Provision in Revised Standard Bid Document		
1	Section-3	(Conditions of Contract)	a d. V. d. I. Completion		
	51.	Advance Payment	Extension of the Intended Completion Date		
		The Employer shall make advance	"The Employer shall make advance		
		payment to the Contractor of the	payment to the Contractor of the		
		amounts stated in the Contract Data	amounts stated in the Contract Data by		
		by the date stated in the Contract	the date stated in the Contract Data,		
		Data, against provision by the	against provision by the Contractor of		
		Contractor of an Unconditional	an Unconditional Bank Guarantee in a		
		Bank Guarantee in a form and by a	form and by a bank acceptable to the		
		bank acceptable to the employer in	employer in amounts and currencies		
		amounts and currencies equal to	equal to the advance payment. The		
		the advance payment. The	guarantee shall remain effective until		
		guarantee shall remain effective	the advance payment has been repaid.		
		until the advance payment has been	But the amount of guarantee shall be		
	repaid, but the amount of guarantee		progressively reduced by the amounts		
		shall be progressively reduced by	repaid by the Contractor. Interest will be		
		the amounts repaid by the	charged @ 10% quarterly compounded.		
		Contractor. Interest will not be	The interest will be charged with		
		charged on the advance payment.	the installment of recovery of		
			mobilization advance."		

- 2. Equipment Advance हेतु भी यह व्यवस्था लागू होगी।
- 3. Standard Bidding Document के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा आमंत्रित एवं आमंत्रित किये जाने वाले निविदाओं पर उपरोक्त संशोधन लागू होगा।

**ह०/**— (अशोक कुमार दास) संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक—1 / पी०	एम०सी० / विविध / 321 /	2008—	⁄ राँची, दिन	गंक	
	प्रतिलिपि :– अधीक्षक, में प्रकाशित करने तथा ध कराने हेतु अग्रसारित।	राजकीय मुद्रणालय, इसकी 200 (दो सौ)	डोरण्डा, राँची प्रक्रियाँ जल र	को राजकीय नंसाधन विभाग,	गजट के झारखण्ड,
				<b>ह०/</b> — <b>शोक कुमार दास</b> क्त सचिव (अभिव	
ज्ञापांक—1 / पी	<b>)एम०सी० / विविध / 321 /</b> प्रतिलिपि :— महालेखाक	<b>'2008—</b> ार, झारखण्ड को सूचन	<b>/ राँची, दि</b> न गर्थ एवं आवश्य	<b>नांक</b> क कार्रवाई हेतु	प्रेषित ।
				<b>ह०/–</b> <b>शोक कुमार दास</b> क्त सचिव (अभिव	
प्रधान आप्त सा आयुक्त / सर्भ अभियंता / सभी	<b>्एम०सी० / विविध / 321 ,</b> प्रतिलिपि :— राज्यपाल चिव / सभी अपर मुख्य स ो उपायुक्त, झारखण्ड / अधीक्षण अभियंता / सर्भ ग्राई हेतु प्रेषित ।	के प्रधान सचिव/मुख चिव/प्रधान सचिव/स अभियंता प्रमुख—I/II	य़मंत्री के प्रधान चिव / सभी विष के प्रधान	न सचिव / मुख्य भागाध्यक्ष / सभी ! आप्त सचिव / स	प्रमण्डलीय भी मुख्य
<b>ज्ञापांक-1/पी</b> अपलोड करने	<b>ंएम०सी० / विविध / 321</b> प्रतिलिपि :– वेब सूचन हेतु प्रेषित।	<b>/2008</b> – <u>८</u> 56 । प्रबंधक, जल संसाधन	संर् / राँची, वि	ह०/-  शिक्षेक कुमार दास्  पुक्त सचिव (अभि  नांक को विभागीय वेब	0)
				अशोक कुमार दार युक्त सचिव (अभि	ਜ)
			, ,		